

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी: सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 15/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नांगल राजावतान

प्रार्थी

बनाम

1. नानगी पत्नि प्रकाश
2. प्रभू
3. राकेश
4. लाला

} पिसरान प्रकाश

समस्त जाति बैरवा निवासी चूडियावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

:—निर्णय:—

दिनांक: 24.12.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया, किन्तु अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये ना ही कोई जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम चूडियावास तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 696 रकबा 39 बीघा संवत 2003 में किस्म पेटा बंध दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 341 रकबा 39 बीघा किस्म पेटाबंध बने। भू-प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041-2060 की संक्रिया में उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 961 रकबा 6.27 है. बने। जमाबन्दी सम्वत 2057-60 में खसरा नम्बर 961/7 रकबा 1.00 है. भूमि नानगी बेवा प्रकाश, प्रभू, राकेश, लाला पि. प्रकाश के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2065-68 में अप्रार्थी नानगी बेवा प्रकाश, प्रभु, राकेश, लाला पि. प्रकाश के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 961/7 साबिक खसरा नम्बर 696 संवत 2003 में किस्म पेटा बंध दर्ज रिकार्ड थी। अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में पेटाबंध दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 के तथ्य अप्रार्थी को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्णतः दर्ज प्रकरण के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण निरस्त कर फरमावे।



बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम चूडियावास तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 696 रकबा 39 बीघा संवत् 2003 में किस्म पेटा बंध दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्बत् 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 341 रकबा 39 बीघा किस्म पेटाबंध बने। भू-प्रबन्ध अभिलेख सम्बत् 2041-2060 की संक्रिया में उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 961 रकबा 6.27 है. किस्म बारानी-3 बने। उक्त प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 961/7 साबिक खसरा नम्बर 696 संवत् 2003 में किस्म पेटा बंध दर्ज रिकार्ड थी। अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में पेटाबंध दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में पेटाबंध दर्ज रिकॉर्ड रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

( सुमित्रा पारीक )

अति० जिला कलक्टर दौसा

( सुमित्रा पारीक )

अति० जिला कलक्टर दौसा